

अदालत... **सहायक कलक्टर (SDO) बायत** ... मुकाम...

खेदाराम बनाम अनाराम जाति


किस्म मुकदमा... **RTI 88, 188** नं. **54** सन **2020**  
**RTI Act**

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तापील में जारी हुए
1.6.2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <b>खेदाराम जाति</b></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <b>88, 188</b></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <b>8/6/2020</b> को पेश हो।</p>	
08/06/2020	<p><b>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी/गज</b></p> <p><b>उस सम्पन्न तलब किया गया। इन्तजार टोट पत्रावली दिनांक 24/06/2020 को पेश की।</b></p>	
24/06/2020	<p><b>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी</b></p> <p><b>संख्या- 1 की फॉर्म से वकील श्री नरपत</b></p> <p><b>पून्ड द्वारा बदलातनाम मय ईडवालिम</b></p> <p><b>जवाबदावा पेश किया गया। व वादी वकील</b></p> <p><b>द्वारा वादी लाभ के रूप में pw-1-खेदाराम</b></p> <p><b>पुत्र श्री अनाराम जाति-जाट निव-पुतराबिनी</b></p> <p><b>श्री शर्मा (माडपुरा बरवाला) लक्ष्मी-बायत</b></p> <p><b>व pw-2- पावुराम पुत्र श्री वीरमराम जाति</b></p> <p><b>जाट निवासी-पुतराबिनी श्री शर्मा (माडपुरा बरवाला)</b></p> <p><b>लक्ष्मी-बायत तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी</b></p>	<p><b>प्रतिवादी</b></p> <p><b>प्रतिवादी (खेदाराम)</b></p> <p><b>प्रतिवादी</b></p> <p><b>प्रतिवादी</b></p>

**सहायक कलक्टर (SDO) बायत**



साक्ष के रूप में DW-1- बानाराम पुत्र श्री विमलराम  
जाति- जाट निवासी- पुतराबियों की ठानी (माडपुरा  
बदवाला) तहसील-बायड व DW-2- पाबुराम  
पुत्र वीरभाराम जाति-जाट निवासी-पुतराबियों  
की ठानी तहसील-बायड जिला-बाड़मेर के साक्ष-  
पत्र पेश किये गये जिले शामिल पञ्जावली  
विभा गण्य। वादी व प्रतिवादी वडील और साक्ष  
पेश नहीं करना चाहते हैं। वादी व प्रतिवादी साक्ष  
बन किये जाते हैं। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं  
की बहस हुनी गई वादी का काय स्वीकार किया  
जाऊ निर्णय प्रलय से लिखा जाऊ शामिल  
पञ्जावली विभा गण्य। अन्तिम डिग्री पचो जारी  
होऊ पञ्जावली फैसल शुमार होऊ डन नम्बर  
से उम हो, दाखिल इफ्तल हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायड

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 54/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रूघाराम पुत्र कानाराम 2. हरिसिंह पुत्र कानाराम जातियान्-जाट, निवासीयान्-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर		1. कानाराम पुत्र हिमताराम जाति- जाट, निवासीयान्-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण

:- निर्णय :-

दिनांक : 24.6.2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 566/431, 570/464, 578/509, 674/570, 675/570 रकबा क्रमशः 3.7861, 4.5223, 3.3169, 1.1892, 0.1052 हेक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज हिमताराम के वंशज हैं तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

24/6/2020  
सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण हिमताराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 566/431, 570/464, 578/509, 674/570, 675/570 रकबा क्रमशः 3.7861, 4.5223, 3.3169, 1.1892, 0.1052 हेक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.6.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विवेक व्यास)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु



सहायक कलेक्टर (SDO)  
(विवेक व्यास)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु



अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रुघाराम पुत्र कानाराम
2. हरिसिंह पुत्र कानाराम  
जातियान्-जाट,  
निवासीयान्-चुतराणियों की ढाणी,  
माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु,  
जिला-बाड़मेर

1. कानाराम पुत्र हिमताराम  
जाति- जाट,  
निवासीयान्-चुतराणियों की ढाणी,  
माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु,  
जिला-बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या-.....54...../2020.


निर्णय दिनांक :-


वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 566/431, 570/464, 578/509, 674/570, 675/570 रकबा क्रमशः 3.7861, 4.5223, 3.3169, 1.1892, 0.1052 हेक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



  
(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	